पत्रांक–23 / नियुक्ति–01 / 2017, सा०प्र० 14777 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव /
प्रमण्डलीय आयुक्त /
विभागध्यक्ष / सचिव /
जिला पदाधिकारी।

दिनांक– 21-11-17

विषयः– **बिहार सरकर के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में गति लाने के संबंध में।**

प्रसंगः– **सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8754 दिनांक–17.06.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संलग्न करते हुए कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में अनुरोध है कि सभी विभाग / नियुक्ति प्राधिकार / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति संबंधी अधियाचना सीधे संबंधित आयोग को न भेजकर अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजी जायेगी।

एतद् संबंधी जाँच–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना संलग्न चेक–लिस्ट के साथ यथास्थिति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

चेक–लिस्ट

1. पदनाम :
2. पदों की संख्या (आरक्षण कोटिवार सहित) :
3. श्रेणी/सम्वर्ग :
4. वेतनमान :
5. नियुक्ति नियमावली/भर्त्ती संबंधी नियमों में सरकार द्वारा किए गए संशोधन संबंधी अधिसूचना/संकल्प की प्रति :
6. माँग–पत्र (अधियाचना–प्रपत्र) हिन्दी एवं अंग्रेजी :
7. आयु सीमा (न्यूनतम एवं अधिकतम कट ऑफ डेट के साथ) :
8. चयन प्रक्रिया :
9. विकलांग के लिए पद की अनुमान्यता :
10. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में उम्र सीमा में देय छूट:
11. लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित विषय, पाठ्यक्रम, पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि:
12. परीक्षा की प्रकृति (विषयनिष्ठ/वस्तुनिष्ठ) :
13. साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक :
14. अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में नियुक्ति नियमावली में उल्लेख :
15. रोस्टर क्लीयरेंस की प्रति :
16. CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला :
17. वांछनीय योग्यता क्या अनिवार्य है या इस पर कुछ Weightage है :
18. आवश्यक अनुभव किन संस्थानों का मान्य होगा एवं अनुभव प्रमाण–पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार कौन होंगे :